

राजस्थान में विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित व्यक्तिगत लाभ योजनाएं

	योजना का नाम	प्रारम्भ होने का वर्ष	लाभान्वित वर्ग	पात्रता	आवेदन कहाँ किया जाए	सम्पर्कसूत्र
1	अनुसूचित जाति / जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 व नियम 1995, नागरिक संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आर्थिक सहायता	1981	अनुसूचित जाति व जन जाति	अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का व्यक्ति जो गैर अनुसूचित जाति द्वारा उत्पीड़ित हो ।	जिला कलक्टर में	जिला कलक्टर, जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
2	सम्बल ग्राम विकास योजना	1997–98	अनुसूचित जाति	वह ग्राम जिसकी जनसंख्या पूरी जनसंख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत से अधिक हो	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जिला कार्यालय / परियोजना प्रबन्धक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम का जिला कार्यालय / पंचायत समिति / जिला परिषद कार्यालय	जिले में परियोजना प्रबंधक अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या जिला परिषद
3	उन्नत नस्ल गाय / भैंस (बैंकिंग योजना)	1981–82	अनुसूचित वर्ग का गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाला होना चाहिए	आवेदक अनुसूचित वर्ग का बी.पी.एल होना चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक पूर्व में निगम द्वारा किसी योजना में अधिकतम 10000 रु अनुदान का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। आवेदक पर किसी प्रकार का ऋण बकाया नहीं हो।	जिला स्तर पर निगम कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका व नगर निगम	जिला स्तर पर निगम कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम

				आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 20000 एवं शहरी क्षेत्र में 21400 से अधिक नहीं होनी चाहिए आवेदक 18 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए।		
4	व्यक्तिगत पम्प सेट	1981–82	आवेदक अनुसूचित वर्ग का गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाला होना चाहिए	आवेदक अनुसूचित वर्ग का बी.पी.एल होना चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक पूर्व में निगम द्वारा किसी योजना में अधिकतम 10000रु अनुदान का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। ,आवेदक पर किसी प्रकार का ऋण बकाया नहो हो। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 20000 एवं शहरी क्षेत्र में 21400 से अधिक नहीं होनी चाहिए आवेदक 18 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए।	जिला स्तर पर निगम कार्यालय ,पंचायत समिति कार्यालय ,शहरी क्षेत्र में नगर पालिका ,नगर निगम	जिला स्तर पर निगम कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका व नगर निगम
5	ऑटो रिक्षा योजना	1981–82	आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाला होना चाहिए	आवेदक अनुसूचित वर्ग का बी.पी.एल होना चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक पूर्व में निगम द्वारा किसी योजना में अधिकतम 10000 रु अनुदान का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। आवेदक पर किसी प्रकार का ऋण बकाया न हो। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 20000 एवं शहरी क्षेत्र में 21400 से अधिक नहीं होनी चाहिए आवेदक 18 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए।	जिला स्तर पर निगम कार्यालय,,पंचायत समिति कार्यालय,शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम	जिला स्तर पर निगम कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम
6	राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम की ऋण योजना	2000	अन्य पिछड़ा वर्ग	प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए। समस्त श्रोतों से वार्षिक आय बी पी एल के नीचे अथवा दुगनी आय होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में 31952 व शहरी क्षेत्र में 42412 रु वार्षिक होना चाहिएं।	संबंधित जिले के परियोजना प्रबन्धक को आवेदन करने पर जिला संवीक्षा समिति के समक्ष साक्षात्कार उपरान्त चयनित आशार्थियों की राशि राष्ट्रीय निगम से दी	संबंधित जिले में परियोजना प्रबन्धक अनुसूचित जाति जन जाति वित्त एवं विकास निगम

					जाति है।	
7	भामाशाह वित्तीय सशक्तिकरण योजना	2008–09	ग्रामीण क्षेत्र के चयनित बी पी एल परिवार ,गैर बी.पी.एल लघु एवं सीमान्त किसान अनुसूचित जाति व जन जाति के परिवार – (अ) वृद्धावस्था, विधवा पेंशन योजना के लाभार्थी (ब) निःशक्त पेंशन योजना लाभार्थी (स)15 दिवस तक एन.आर.इ.जी.एस योजना में काम करने वाले व्यक्ति के परिवार	ग्रामीण क्षेत्र के चयनित बी पी एल परिवार गैर बी पी एल लघु एवं सीमान्त किसान अनुसूचित जाति व जन जाति के परिवार – (अ) वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी (ब) विधवा पेंशन योजना के लाभार्थी (स)निःशक्त पेंशन योजना लाभार्थी (द)15 दिवस तक एन.आर.इ.जी.एस योजना में काम करने वाले व्यक्ति के परिवार	जिला स्तरीय अधिकारियों/ सर्विस प्रोवाइडर द्वारा तय किये गए केम्प कार्यक्रमानुसार संबंधित ग्राम पंचायत पर	सम्बंधित ग्राम पंचायत ग्राम सेवक /पटवारी/ तहसीलदार / विकास अधिकारी
8	विद्या वारिदी स्कॉलर शिप योजना	2008–09	अभियांत्रिक महाविद्यालय, एम. बी.ए., एम सी ए में अध्ययनरत छात्र	अभिभावको की वार्षिक आय 1लाख रु से अधिक नहीं होनी चाहिए। एवं एंट्रेस टेस्ट में सम्मिलित होना आवश्यक है।	निदेशक तकनीकी शिक्षा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर	निदेशक (तकनीकी शिक्षा) प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर
9	शिशु गृह योजना	1971	5 वर्ष तक के अनाथ व परित्यक्त शिशु	राज्य में परित्यक्त एवं अनाथ शिशुओं को बाल कल्याण समिति के माध्यम से संस्था में रखा जाता है।	संबंधित जिले का जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	अधीक्षक शिशु गृह गांधी नगर
10	छात्रावास योजना	1952–53	अनुसूचित जाति व जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं स्वच्छ कार वर्ग के विद्यार्थी	परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रु से अधिक न हो छात्र अनुसूचित जाति जनजाति व स्वच्छकार वर्ग का होना चाहिए। छात्रावास में कक्षा 6से 12 तक के छात्र प्रवेश ले सकते हैं। मेरिट के आधार पर नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश के हकदार हैं।	जिला कार्यालय समाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग	जिला कार्यालय समाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग
11	उत्तर मेरिट छात्रवृत्ति योजना	1981से 2003–04	अनुसूचित जाति व जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी	छात्र राजस्थान का मूल निवासी हो अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का होना चाहिए अभिभावको की वार्षिक आय पिछड़े वर्ग के लिए 44500 रु है। छात्र किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में उत्तर मेट्रिक शिक्षा में अध्ययनरत हो	राजकीय महाविद्यालय में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के कार्यालय में स्वयं के जिले के जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में	जिला कार्यालय समाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग

12	आवासीय विद्यालय योजना	1997–98	अनुसूचित जाति व जन जाति तथा पशुपालको के बच्चे	अनुसूचित जनजाति वर्ग का आवासीय विद्यालय में 80 प्रतिशत स्थान, अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत व 8 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के लिए है। 50 प्रतिशत स्थानीय जिले के छात्र छात्राओं के लिए आरक्षित हैं एस सी एस टी व ओ बी सी के प्रतिभाशाली छात्रों को लिखित परीक्षा का आयेजन कर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा ।	संबंधित आवासीय विद्यालय	संबंधित आवासीय विद्यालय
13	राजकीय एवे गैर राजकीय महाविद्यालय ,माध्यमिक विद्यालय स्तर के छात्रावास निर्माण एवं संचालन हेतु अनुदान	2007–08	अनुसूचित जाति व जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग विमुक्त एवं घुमन्तु जातियों के विद्यार्थी	राज्य के राजकीय गैर राजकीय शिक्षण संस्थान अपने परिसर में छात्रावास निर्माण करा सकेंगे एस टी एस सी व घुमन्तु जाति के छात्र रह सकेंगे राजकीय सहायता के अलावा शेष राशि की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए	संबंधित जिले का जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में	संबंधित जिले का जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में
14	निशक्त छात्रवृत्ति योजना	1981	निःशक्त विद्यार्थीगण	छात्र / छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययनरत हो तथा संरक्षक की वार्षिक आय 40000 रु से अधिक नहो छात्र / छात्रा को पूर्व में किसी भी संस्था से छात्रवृत्ति भत्ता नहीं मिला हो तथा गत वर्ष की कक्षा में उत्तीर्ण हो चिकित्साबोर्ड द्वारा अधिकृत 40 प्रतिशत निःशक्तता का प्रमाणपत्र हो । प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो ।	संबंधित जिले का जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में	संबंधित जिले का जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में
15	राजस्थान अपाहिज ,अपंग एवं नेत्रहीन व्यक्तियों को पेंशन योजना	1965	अपाहिज, अपंग, नेत्रहीन व्यक्ति	राजस्थान का मूल निवासी हो । आयु 8 वर्ष से अधिक हो आजाविका का कोई साधन नहीं हो । निकटतम संबंधी 20 वर्ष का हो और आजिविका कमाने योग्य हो तो पेंशन नहीं मिलेगी । भीख मांगकर खान वाले शामिल नहीं हैं । विकलांग पति पत्नि दोनों पेंशन के	संबंधित पंचायत समिति क्षेत्र में विकास अधिकारी पंचायत समिति से बाहर उपखण्ड अधिकारी	ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, तहसील कार्यालय जिला कलक्टर

				हकदार है।		
16	विस्वास योजना	2004–05	विकलांग वर्ग	<p>आवेदक निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार निःशक्त होना चाहिए।</p> <p>2. वह राजस्थान का मूल निवासी हो।</p> <p>3. उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 55 वर्ष होनी चाहिए</p> <p>4. समस्त स्त्रोतों से आवेदक परिवार की आय रुपये 2000/- मासिक से अधिक न हो</p> <p>5. आवेदक द्वारा पूर्व में कियोरक्ष योजना अथवा अन्य किसी योजना में स्वरोजगार / व्यवसाय योजना के अन्तर्गत अनुदान आदि का लाभ नहीं लिया गया हो।</p>	संबंधित जिले का जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में	उप आयुक्त / सहायक आयुक्त सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का जिला अधिकारी
17	आस्था योजना	2004–05	वे परिवार जिनमें दो या अधिक विकलांग व्यक्ति हैं।	ऐसे परिवार जिनमें एक से अधिक सदस्य निःशक्त हैं और उस परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं है, उन परिवारों को बीपीएल परिवारों के अनुरूप विशेष सहायता।	संबंधित जिले का जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में	उप आयुक्त / सहायक आयुक्त सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का जिला अधिकारी
18	पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु	1984	अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र	राजस्थान का मूल निवासी हो मेडिकल बोर्ड द्वारा निरयोग्य प्रमाण पत्र हो प्रार्थी किसी रोजगार में लगा हुआ हो। परिवार सहित समस्त स्रोतों से मासिक आय 1500 रु से अधिक नहीं हो।	संस्था प्रधान को	संस्था प्रधान
19	संयुक्त सहायता अनुदान योजना	1986	निःशक्त व्यक्ति	निःशक्त वर की आयु 21 वर्ष वधू की आयु 18 वर्ष हो मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता का प्रमाणपत्र हो राजस्थान का मूल निवासी हो। समस्त स्रोतों से मासिक आय 1000 रु से अधिक न हो।	संबंधित जिले का जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में	उप आयुक्त / सहायक आयुक्त सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का जिला अधिकारी
20	सुखद दाम्पत्य	1997	निःशक्त व्यक्ति	कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र	उप आयुक्त / सहायक	उप आयुक्त / सहायक

	जीवन योजना (निःशक्त विवाह पर अनुदान योजना)				आयुक्त सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का जिला अधिकारी	आयुक्त सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का जिला अधिकारी
21	पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति अस्वच्छ कार्य में लगे लोगों के बच्चों हेतु	1994 संशोधन 2003	अस्वच्छ कार्य में लगे लोगों के बच्चों हेतु जो कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत है	कक्षा 6 से 8 तक के छात्र	संस्था प्रधान को	संस्था प्रधान
22	पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु	1984	सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र	कक्षा 6 से 8 तक के अध्ययनरत छात्र	संस्था प्रधान को	संस्था प्रधान
23	पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के छात्र	1984	अनुसूचित जनजाति के छात्र	कक्षा 6 से 8 तक के अध्ययनरत छात्र	संस्था प्रधान को	संस्था प्रधान
24	राजस्थान रेटेट ओपन स्कूल	2005	समस्त वर्ग	माध्यमिक पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 14 वर्ष न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वी पास उच्च मायमिक के लिए 15 वर्ष व मेट्रिक / माध्यमिक हाईस्कूल प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।	राजस्थान रेटेट ओपन स्कूल जयपुर द्वारा निर्धारित 326 संदर्भ केन्द्रों पर	फोन नं 0141 2705067
25	कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय	2005–06	विद्यालय से वंचित एस सी एस टी अल्प संख्यक वर्ग एवं बी पी एल वर्ग की बालिकाएं	ब्रिज कोर्स कक्षा 8 उत्तीर्ण व ड्राप आउट बालिकाएं	जिला परियोजना समन्वयक बीआर सी एफ कार्यालय	राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान में समस्त जिले। सीकर झुंझुनु को छोड़कर
26	कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम	2004–05	कक्षा 6 से 8 तक के चिह्नित विद्यालयों के विद्यार्थी	कक्षा 6 से 8 तक के चिह्नित विद्यालयों के विद्यार्थी	जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में समस्त जिले।	जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान
27	पन्नाधाय जीवन अमृत योजना	2006	बी पी एल परिवारों के कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत दो आश्रित पुत्र पुत्रियों	छात्र/छात्रा बी पी एल परिवार का हो कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत हो।	विद्यालय के संस्था प्रधान को	संस्थाप्रधान / जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ग्राम पंचायत नगरीय निकाय नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम

28	प्री कारगिल युद्ध अर्थात् 99 से पूर्व अन्य इमरजेन्सी में शहीद हुये स्थाई विकलांग सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति	2004–05	प्री कारगिल युद्ध अर्थात् 99 से पूर्व अन्य इमरजेन्सी में शहीद हुये स्थाई विकलांग सैनिकों के कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत आश्रित	प्री कारगिल युद्ध अर्थात् 99 से पूर्व अन्य इमरजेन्सी में शहीद हुये स्थाई विकलांग सैनिकों के कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत आश्रित	विद्यालय के संस्था प्रधान को	संस्था प्रधान / जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सैनिक कल्याण अधिकारी
29	पूर्व मेट्रिक अन्य पिछड़ी जाति के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति	2004–05	अन्य पिछड़ा वर्ग कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राएँ	पिछड़ा वर्ग के कक्षा 6 से 10 तक अध्ययनरत छात्र	विद्यालय के संस्था प्रधान को	विद्यालय के संस्था प्रधान को
30	अनुसूचित जाति जनजाति प्रतिभा विकास कार्यक्रम	1987–88	अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र	कक्षा 8 की मेरिट के आधार पर तथा छात्र एस टी एस सी का हो।	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक
31	प्री कारगिल युद्ध अर्थात् 99 से पश्चात् अन्य इमरजेन्सी में शहीद हुये स्थाई विकलांग सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति	1999	प्री कारगिल युद्ध अर्थात् 99 के पश्चात् अन्य इमरजेन्सी में शहीद हुये स्थाई विकलांग सैनिकों के कक्षा 1 से 12 तक अध्ययन रत आश्रित	प्री कारगिल युद्ध अर्थात् 99 के पश्चात् अन्य इमरजेन्सी में शहीद हुये स्थाई विकलांग सैनिकों के कक्षा 1 से 12 तक अध्ययन रत आश्रित	विद्यालय के संस्था प्रधान को	संस्थाप्रधान / जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सैनिक कल्याण अधिकारी
32	ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर की योजना	2007–08	ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली राजकीय/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाएं, जिनका विद्यालय उनके निवास स्थान से दूर होने के कारण जाना आना जाना पड़ता है।	ग्रामीण क्षेत्र की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राएं जिनका विद्यालय निवास स्थान से दूर होने के कारण जाना आना जाना पड़ता है।	विद्यालय के संस्था प्रधान को	विद्यालय के संस्था प्रधान को एवं सचिव विद्यालय विकास समिति
33	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना	1996	राजकीय/माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत बालक बालिकाएं	राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हो तथा छात्राओं का बीमा प्रीमीयम जमा हो	विद्यालय के संस्था प्रधान के द्वारा राज्य बीमा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी के कार्यालय में।	विद्यालय के संस्थाप्रधान को
34	कक्षा 12 में 75	2008–09	छात्राएं	वे सभी बालिकाएं पात्र हैं जिन्होंने	संस्था प्रधान के माध्यम से	निदेशक माध्यमिक शिक्षा

	प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार योजना		2008 की उच्च माध्यमिक परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी	राज 0 बीकानेर
35	गार्गी पुरस्कार (सीनियर योजना)	1998 बड़ी हुई राशि 2008-09	छात्राएं	वे सभी बालिकाएं पात्र हैं जिन्होंने माध्यमिक परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं	संस्था प्रधान के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी
36	ग्रामीण बालिकाओं को साईकिल वितरण योजना	2007-08	ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी बालिकाएं जिनका विद्यालय उनके निवास स्थान से 2से 5 किमी दूर है।	बालिका ग्रामीण क्षेत्र में स्थाई रूप से निवास करती हो विद्यालय 2बसे 5 किमी दूर हो तथा राजकीय विद्यालय में 10 वीं में अध्ययनरत हो।	संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान / सचिव विद्यालय विकास समिति
37	राज्य स्तरीय, मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु पुरस्कार योजना	2008-09	विद्यालय	राज्य के सभी राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय	संस्था प्रधान के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को।
38	राजकीय विद्यालयों का स्तर सुधार एवं सम्मान हेतु प्रोत्साहन योजना	2008-09	राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी एवं सम्बन्धित शिक्षक	राज्य के सभी राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं शिक्षक	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में
39	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं का नियमित रूप से अध्ययनरत रहकर आई.आई.टी, ए.आई.आई.एम.एस. में प्रवेश प्राप्त करने पर	2008-09	विद्यालय एवं दो शिक्षक (सामुहिक)	राज्य के सभी राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र/छात्राएं जिन्होंने नियमित रूप से अध्ययन रत रहकर आई.आई.टी. /ए.आई.आई.एम.एस. में प्रवेश प्राप्त किया हो।	संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य

	विद्यालय को देय 1 लाख रु					
40	राष्ट्रीय स्तर की विद्यार्थी खेलकूद प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना।	2008–09	छात्र / छात्राएं	राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण / रजत/ कांस्य पदक जीतने वाले छात्र / छात्राएं	निदेशक माध्यमिक शिक्षा राज 0 बीकानेर	निदेशक माध्यमिक शिक्षा राज 0 बीकानेर उप निदेशक मुख्यालय बीकानेर
41	निजि सहभागिता के माध्यम से महाविद्यालयों में नॉलेज सेंटर की स्थापना	2006–07	राजकीय व निजि महाविद्यालयों के विद्यार्थी	स्नातक स्नातकोत्तर विद्यार्थी	उद्योग व कंपनी के लिए आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर विद्यार्थियों के लिए – संबंधित राजकीय महाविद्यालय	आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर
42	रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम योजना	2005–06	महाविद्यालय के विद्यार्थी	महाविद्यालय के विद्यार्थी	संयुक्त सचिव, कैरियर ओरियेन्टेड कोर्स 35 फिरोजशाह रोड नई दिल्ली	संयुक्त सचिव, कैरियर ओरियेन्टेड कोर्स 35 फिरोजशाह रोड नई दिल्ली
43	बाल गणेश चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना	2008–09	राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत छात्र	जिला मुख्यालय पर 1 से 12 तक के विद्यार्थी	—	—
44	अल्पकालीन रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम	2006–07	राजकीय व निजि महाविद्यालयों के विद्यार्थी	महाविद्यालय के विद्यार्थी	आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर विद्यार्थियों के लिए – संबंधित राजकीय महाविद्यालय	आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
45	पोलिसी टू प्रमोट प्राईवेट इन्वेस्टमेन्ट इन हेल्थ केयर फेसिलिटीज	2006	आम जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना	कम से कम 10 करोड रु का व्यय रु 5 करोड नर्सिंग व पेरा मडिकल सरस्था एवं 50 हजार की आबादी तथा 15 बिस्तरों के अस्पताल के लिए 50 लाख रु व्यय	शासन सचिवालय, चिकित्सा शिक्षा शासन सचिवालय जयपुर	शासन सचिवालय, चिकित्सा शिक्षा शासन सचिवालय जयपुर
46	अभिलाषा योजना	2007	राज्य के वृद्ध जन	प्रशिक्षण हेतु महिला एवं बाल विकास द्वारा चयनित महिलाएं	महिला एवं बाल विकास	शासन सचिवालय, चिकित्सा शिक्षा शासन सचिवालय

						जयपुर निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग
47	ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर	0	खिलाड़ी	उदीयमान खिलाड़ी	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र
48	राजस्थान दिवस	2004	आमजन एवं समस्त खिलाड़ी	आम जन एवं समस्त खिलाड़ी	जिला खेल अधिकारी	जिला खेल अधिकारी
49	वीरांगना विहार योजना	2006–07	सैनिकों की विधवाओं के लिए अल्प आय वर्ग मध्यम आय वर्ग	सैनिकों की विधवाएं, आय वर्ग के अनुसार	उप आवासन आयुक्त	उप आवासन आयुक्त
50	शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार	2005–06	शारीरिक रूप से विकलांग मूक बधिर, नेत्रहीन बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत हैं।	शारीरिक रूप से विकलांग मूक बधिर, नेत्रहीन बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत हैं।	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा उप सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
51	गार्गी पुरस्कार जुनियर	1998	कक्षा 8 में पंचायत समिति व जिला मुख्यालय पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं आगे कक्षा 9 व 10 में अध्ययन रत हों	कक्षा 8 में पंचायत समिति व जिला मुख्यालय पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं आगे कक्षा 9 व 10 में अध्ययन रत हों	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा उप सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
52	आपकी बेटी योजना	2004–05	कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएं जो बी पी एल परिवार की हो जिनके माता पिता का निधन हो गया हो।	कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएं जो बी पी एल परिवार की हो जिनके माता पिता का निधन हो गया हो।	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा
53	वीणा पाणि योजना	2008–09	राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक आगामी वर्षों में निःशुल्क बैग कक्षा 1 व कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर ही देय होगा	राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत होना, जिन्हे निःशुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कररवाई जा रही है।	0	शाला प्रधान
54	शिक्षाकर्मी कल्याण कोष	1997–98	समस्त शिक्षाकर्मी	आकस्मिक मृत्यु व विकलांग होने पर	शिक्षा कर्मी बोर्ड मुख्यालय	शिक्षा कर्मी बोर्ड मुख्यालय
55	शिक्षाकर्मी सामुहिक दुर्घटना बीमा	2007–08	समस्त शिक्षाकर्मी	आकस्मिक दुर्घटना व निधन होने पर	शिक्षा कर्मी बोर्ड मुख्यालय	सहायक निदेशक शिक्षाकर्मी बोर्ड मुख्यालय
56	पातांजली योजना	2007	समस्त जनता	समस्त जनता	शासन सचिव	शासन सचिव / विकित्सा

					/ चिकित्सा शिक्षा विभाग शासन सचिवालय	शिक्षा विभाग शासन सचिवालय
57	समावेशित शिक्षा	2001	6–14 वर्ष के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे	नि:शुल्क अंग व उपकरण वितरण मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता के आधार पर होम बेर्टेड एजुकेशन चिन्हित गम्भीर दोष युक्त बच्चे	0	नजदीकी राजकीय विद्यालय / सी.आर.सी.एफ / जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान
58	आर्थिक रूप से पिछडे अनुसूचित जाति जन जाति के अभियांत्रिक स्नातकों को विशेष प्रशिक्षण योजना	2008–09	आर्थिक रूप से पिछडे अनुसूचित जाति जन जाति के छात्र	अभियांत्रिकी स्नातक	राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान जयपुर	राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान जयपुर विशेषाधिकार तकनीकी शिक्षा शासन सचिवालय
59	टेली मेडिसिन योजना	2006	गम्भीर रोग से ग्रस्त रोगी	ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के नागरिक	संबंधित मेडिकल कॉलेज	निदेशक सूचना प्रोद्योगिकी विभाग समस्त मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य
60	गडिया लुहारों को कच्चा माल क्य करने हेतु अनुदान योजना	1991	गडिया लुहार वर्ग	गडिया लुहार वर्ग जिसके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति-प्रमाण पत्र हो	संबंधित जिले का जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में	संबंधित जिले का जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में
61	महाराणा प्रताप मकान निर्माण हेतु सहायता नियम	1999–2000	गडिया लुहार वर्ग	गडिया लुहार वर्ग जिसके पास स्वयं का मकान नहीं हैं लेकिन भूमि का वैध पट्टा है उसको इस योजना का लाभ दिया जायेगा ।	संबंधित जिले का जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में	संबंधित जिले का जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में
62	डॉ सविता अम्बेडकर विवाह योजना	2006	अनुसूचित जाति	प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो वर की आयु 21 वर्ष वधू की आयु 18 वर्ष हो कोई एक अनुसूचित जाति का हो या कोई एक सवर्ण जाति का हो ।	संबंधित जिले का जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में	संबंधित जिले का जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में
63	मैनुअल स्केवेंजरों के पुर्नवास के लिए स्वरोजगार	2007	स्वच्छकार वर्ग	स्वच्छकार वर्ग उनके आश्रित भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा उनकी आय को ध्यान में रखे बिना सहायता दी जाए ।	जिला स्तर पर निगम कार्यालय	जिला स्तर पर निगम कार्यालय
64	स्वावलम्बन योजना	2005–06	अनुसूचित जाति, बी.पी.एल	आवेदक अनुसूचित वर्ग का बी.पी.एल होना चाहिए । राजस्थान का मूल	जिला स्तर पर निगम कार्यालय	जिला स्तर पर निगम कार्यालय

				निवासी होना चाहिए, आवेदक पूर्व में निगम द्वारा किसी योजना में अधिकतम 10000 रु अनुदान का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। आवेदक पर किसी प्रकार का ऋण बकाया नहो हो। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 20000 एवं शहरी क्षेत्र में 21400 से अधिक नहीं होनी चाहिए		
65	दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	2006	अनुसूचित जाति जनजाति, सफाई कर्मियों एवं विकलांग वर्ग के शिक्षित बेरोजगार	आवेदक पर किसी प्रकार का ऋण बकाया नहो हो। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 20000 एवं शहरी क्षेत्र में 21400 से अधिक न होनी चाहिए। राष्ट्रीय योजनाओं में एस सी एस टी 40000 रु शहरी क्षेत्र में 55000रु से 100000 रु तक, सफाई कर्मचारी की कोई सीमा नहीं है। राजस्थान का मूल निवासी हो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा।	जिला स्तर पर निगम कार्यालय	जिला स्तर पर निगम कार्यालय उपनिवेशन विभाग
66	भूमि आवटन (गैर बैंकिंग)योजना	2001–02	अनुसूचित जाति वर्ग का हो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाला हो ।	आवेदक अनुसूचित वर्ग का बी.पी.एल होना चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक पूर्व में निगम द्वारा किसी योजना में अधिकतम 10000रु अनुदान का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। ,आवेदक पर किसी प्रकार का ऋण बकाया नहो हो। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 20000 एवं शहरी क्षेत्र में 21400 से अधिक न होनी चाहिए आवेदक 18 वर्ष से कम उम्र का न होना चाहिए ।	जिला स्तर पर निगम कार्यालय	उपनिवेशन विभाग जिला स्तर पर निगम कार्यालय
67	कुटीर ज्योति योजना	1992–93	अनुसूचित जाति वर्ग का हो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाला हो ।	आवेदक अनुसूचित वर्ग का बी.पी.एल होना चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक पूर्व में निगम द्वारा किसी योजना में अधिकतम	जिला स्तर पर निगम कार्यालय पंचायत समिति कार्यालय विद्युत वितरण कार्यालय	जिला स्तर पर निगम कार्यालय पंचायत समिति कार्यालय विद्युत वितरण कार्यालय

			10000रु अनुदान का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। आवेदक पर किसी प्रकार का ऋण बकाया नहीं हो। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 20000 एवं शहरी क्षेत्र में 21400 से अधिक न होनी चाहिए आवेदक 18 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए ।			
68	कृषि यंत्र (गैर बैंकिंग योजना)	1991–92	अनुसूचित जाति वर्ग का हो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाला हो ।	आवेदक अनुसूचित वर्ग का बी.पी.एल होना चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक पूर्व में निगम द्वारा किसी योजना में अधिकतम 10000रु अनुदान का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। ,आवेदक पर किसी प्रकार का ऋण बकाया नहीं हो। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 20000 एवं शहरी क्षेत्र में 21400 से अधिक न होनी चाहिए आवेदक 18 वर्ष से कम उम्र का न होना चाहिए ।	जिला स्तर पर निगम कार्यालय पंचायत समिति कार्यालय	जिला स्तर पर निगम कार्यालय पंचायत समिति कार्यालय
69	कार्यशाला योजना	1995–96	अनुसूचित जाति वर्ग का हो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाला हो ।	आवेदक अनुसूचित वर्ग का बी.पी.एल होना चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक पूर्व में निगम द्वारा किसी योजना में अधिकतम 10000रु अनुदान का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। ,आवेदक पर किसी प्रकार का ऋण बकाया नहीं हो। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 20000 एवं शहरी क्षेत्र में 21400 से अधिक न होनी चाहिए आवेदक 18 वर्ष से कम उम्र का न होना चाहिए ।	जिला स्तर पर निगम कार्यालय पंचायत समिति कार्यालय	जिला स्तर पर निगम, कार्यालय पंचायत समिति कार्यालय
70	कूप विद्युतीकरण योजना	1991–92	अनुसूचित जाति वर्ग का हो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाला हो ।	आवेदक अनुसूचित वर्ग का बी.पी.एल होना चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए आवेदक पूर्व में निगम द्वारा किसी योजना में अधिकतम 10000 रु. अनुदान का लाभार्थी नहीं	जिला स्तर पर निगम कार्यालय पंचायत समिति कार्यालय	जिला स्तर पर निगम, कार्यालय पंचायत समिति कार्यालय

				होना चाहिए। आवेदक पर किसी प्रकार का ऋण बकाया नहीं हो। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 20000 एवं शहरी क्षेत्र में 21400 से अधिक न होनी चाहिए आवेदक 18 वर्ष से कम उम्र का न होना चाहिए ।		
71	कूप ब्लास्टिंग योजना	1987–88	प्रार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का हो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाला हो ।	आवेदक अनुसूचित वर्ग का बी.पी.एल होना चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक पूर्व में निगम द्वारा किसी योजना में अधिकतम 10000रु अनुदान का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। आवेदक पर किसी प्रकार का ऋण बकाया नहीं हो। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 20000 एवं शहरी क्षेत्र में 21400 से अधिक न होनी चाहिए आवेदक 18 वर्ष से कम उम्र का न होना चाहिए ।	जिला स्तर पर निगम कार्यालय पंचायत समिति कार्यालय	जिला स्तर पर निगम, कार्यालय पंचायत समिति कार्यालय
72	पोप शहरी/ग्रामीण (गैर बैंकिंग योजना)	1981–82	अनुसूचित जाति वर्ग का हो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाला हो ।	आवेदक अनुसूचित वर्ग का बी.पी.एल होना चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक पूर्व में निगम द्वारा किसी योजना में अधिकतम 10000 रु अनुदान का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। आवेदक पर किसी प्रकार का ऋण बकाया नहीं हो। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 20000 एवं शहरी क्षेत्र में 21400 से अधिक न होनी चाहिए आवेदक 18 वर्ष से कम उम्र का न होना चाहिए ।	जिला स्तर पर निगम कार्यालय पंचायत समिति कार्यालय शहरी क्षंत्र में नगर पालिका, नगर निगम कार्यालय	जिला स्तर पर निगम कार्यालय पंचायत समिति कार्यालय शहरी क्षंत्र में नगर पालिका, नगर निगम कार्यालय
73	विकलांग वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजना	1999–2000	विकलांग व्यक्ति	लाभार्थी 40 प्रतिशत विकलांग हो। उसकी आयु 18 से 55 वर्ष हो। लाभार्थी की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 1 लाख रु तथा ग्रामीण क्षेत्र में 80 हजार रु हो।	अनुसूचित जाति व जनजाति वित्त व विकास निगम के कार्यालय में	संबंधित जिले का परियोजना प्रबंधक, अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम विभाग
74	अनुसूचित जन	2001–02	अनुसूचित जनजाति वर्ग	लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग का	अनुसूचित जाति व	संबंधित जिले का परियोजना

	जाति वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजना			होना चाहिए। वार्षिक आय गरीबी की दुगनी रेखा की सीमा से कम होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में 39500 रु शहरी क्षेत्र में 54500 रु है उपर 18 वर्ष होनी चाहिए। कार्यरत सहकारी समिति सहभागिता फर्म भी आर्थिक गतिविधियों हेतु पात्र है।	जनजाति वित्त व विकास निगम के कार्यालय में	प्रबंधक ,अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम विभाग
75	महिला स्वयं सिद्धा योजना	2006–07	विधवा, परित्यक्ता,अवाछिंत गतिविधियों में लिप्त महिलाएं	रजिस्टर्ड एवं संस्था के उद्देश्य में वृद्ध कल्याण क्षेत्र होना चाहिए। संस्था को कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	अधीक्षक नारी निकेतन, अथवा स्वयं सेवी संस्था को सादे कागज पर आवेदन किया जा सकता है।	मुख्य परीवेक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग
76	विद्या वारिदी स्कॉलर शिप योजना	2007–08	अभियांत्रिक महाविद्यालय, एम बी ए ,एवं एम सी ए में अध्ययनरत छात्र	छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख रु से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं छात्र का कोमन एट्रेन्स टेस्ट में शामिल होना आवश्यक है।	निदेशक तकनीकी शिक्षा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर	निदेशक तकनीकी शिक्षा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर
77	विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान योजना	1997	विधवाओं की पुत्रियों	जो महिला विधवा हो पुर्णविवाह नहीं किया हो। उसकी मासिक आय सभी स्रोतों से 1000 रु हों परिवार में वयस्क कोई कमाने वाला नहीं हो। महिला की दो कन्याओं को ही यह सहायता मिलेगी। कन्या की आयु 18 वर्ष हो।	संबंधित जिले का जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में निश्चित तिथि के एक माह पूर्व व एक माह बाद तक आवेदन किया जा सकता है।	संबंधित जिले का जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
78	विधवा पुर्णविवाह उपहार योजना	2007–08	विधवा महिला	1. वह विधवा पेंशन पाने की पात्र हो। 2. प्रार्थना पत्र देने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि से वह राजस्थान में रह रही हो। 3. विधवा की आयु 18 से 50 वर्ष तक होनी चाहिए। 4. उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य बीस वर्ष या उससे अधिक आयु का न हो।	संबंधित जिले का जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	
79	राज्य महिला सदन	1970	अनेतिक व सामाजिक रूप से उत्पीड़ित महिला	राज्य महिला सदन में संकट ग्रस्त महिलाओं को न्यायलय ,पुलिस,	सहायक निदेशक राज्य महिला सदन जयपुर	सहायक निदेशक राज्य महिला सदन जयपुर

				सामाजिक कार्यकर्ता, वैधानिक संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था से स्थानांतरण के बाद प्रवेश दिया जाता है।		
80	विमंदित बालक व महिला गृह	1985	विमंदित बालक व महिला	विमंदित महिला गृह में निराश्रित व विमंदित बालकों महिलाओं को न्यायलय, पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था से स्थानांतरित कर रखा जाता है।	अधीक्षक एवं प्राचार्य ,विमंदित महिला एवं बाल गृह मनोचिकित्सालय परिसर जयपुर	अधीक्षक एवं प्राचार्य ,विमंदित महिला एवं बाल गृह मनोचिकित्सालय परिसर जयपुर
81	बालिका गृह योजना	1971	अनाथ एवं अपचारी बालिकाएं	जिन बालिकाओं के माता पिता संरक्षक अभिभावक नहीं हैं। उन्हें किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धाराओं के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति की स्वीकृति से प्रवेश दिया जाता है।	अधीक्षक ,शिशु गृह गाँधी नगर / जिला बालक अधिकारी/ मुख्य बालक अधिकारी जयपुर	अधीक्षिका बालिका गृह गांधीनगर जयपुर
82	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना	1994–95	कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालय के छात्र/छात्राएं	कक्षा 1से 8 तक के राजकीय विद्यालय के छात्र/ छात्राएं	संस्था प्रधान	संस्था प्रधान
83	वैशिक दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम	2005–6	राज्य के सभी राजकीय व निजि महाविद्यालय	महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी	संबंधित महाविद्यालय में	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान
84	अनुसूचित जाति जनजाति प्रतिभा विकास कार्यक्रम	1987–88	अनुसूचित जाति व जनजाति	छात्र अनुसूचित जाति व जनजाति का हो 8 वीं उत्तीर्ण हो चयन छात्रों से प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट के आधार पर होगा।	संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी	संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी
85	नकद पुरस्कार	1986	खिलाड़ी	खेल प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर	राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद	राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद
86	ग्राम भारती विद्यापीठ खेल विद्यालय कोट्यारी सीकर	2007–08	बालक/ बालिका	उदीयमान खिलाड़ी	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र	खेल अधिकारी परिषद मुख्यालय
87	वेणेश्वर धाम में मेले पर जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु	2007–08	जनजाति युवा	जनजाति छात्र/छात्राएं/महिला/पुरुष	मेला स्थल पर	जिला खेल अधिकारी डुगरपुर राजस्थान कीड़ा परिषद जयपुर

	खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन					
88	नि:शुल्क साईकिल वितरण हेतु	2007–08	जनजाति क्षेत्र की छात्र /छात्राएं	छात्रा कक्ष 9 वी पास करके 10 वी में है तथा उनके द्वारा 300 रु जमा कराए जाने पर साईकिले शिक्षा विभाग द्वारा दी जायेगी तथा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं द्वारा जमा कराए गये 300 रु का भुगतान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।	प्रधानाचार्य	उप परियोजना अधिकारी/परियोजना ,जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
89	मॉ बाड़ी केन्द्रों का संचालन	2007–08	जनजाति क्षेत्र के बालक /बालिकाएं	जनजाति क्षेत्र के बालक/बालिकाएं जो स्कूल नहीं जाते हैं	संबंधित केन्द्र के अध्यापक	परियोजना अधिकारी स्वच्छ परियोजना उदयपुर डूगरपुर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
90	बोर्ड परीक्षा में 65प्रतिशत अंक लाने पर अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति छात्रा को नि:शुल्क स्कूटी वितरण	2006–07	जनजाति क्षेत्र की छात्र /छात्राएं	बोर्ड परीक्षा में 65 प्रतिशत अंक लाने पर अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति छात्राएं	प्रधानाचार्य	परियोजना अधिकारी /उप परियोजना ,जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
91	महिला खेलकूद योजना	1975	खेलों के प्रति रुपी रखने वाली सभी बालिकाएं	सभी आयु वर्ग की महिलाएं	जिला मुख्यालय पर स्थित प्रशिक्षण स्थल से	खेल अधिकारीगण व राजस्थान खेल कीड़ा परिषद
92	प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रवेश हेतु कक्ष 5 वी पास छात्र /छात्राओं को कोचिंग	2008–09	जनजाति क्षेत्र की छात्र /छात्राएं	5वीं पास जनजाति छात्राएं	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर डूगरपुर बांसवाड़ा /प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर डूगरपुर/ बांसवाड़ा /प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
93	एस टी सी विशेष बेच	2008–09	जनजाति क्षेत्र की छात्र /छात्राएं	जनजाति क्षेत्र की छात्र/छात्राएं जिनकी शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकंडरी हो	विज्ञापन के अनुसार	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी उदयपुर डूगरपुर/ बांसवाड़ा /प्रतापगढ़

						जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग
94	बी पी एड प्रशिक्षण विशेष बेच	2000–01	जनजाति क्षेत्र की छात्र/छात्राएं	जनजाति क्षेत्र की छात्र/छात्राएं जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक हो खेंलो में विशिष्टता हासिल कर रखी हो	विज्ञापन के अनुसार	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी उदयपुर डूगरपुर/ बांसवाडा/प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग
95	आश्रम छात्रावासों में निःशुल्क कोचिंग	1995–96	जनजाति क्षेत्र की छात्र/छात्राएं	छात्रावासों में आवासरत बोर्ड कक्षा के छात्र/छात्राओं को विशेष कोचिंग कराई जाती है।	आवश्यकता नहीं	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी उदयपुर डूगरपुर /बांसवाडा/प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग
96	आश्रम छात्रावास छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण	2006–07	जनजाति क्षेत्र की छात्र/छात्राएं	आने जाने का किराया ,दर्शनीय स्थलों को देखने हेतु समस्त व्यय विभाग द्वारा किया जाता है	आवश्यकता नहीं	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी उदयपुर डूगरपुर/ बांसवाडा/ प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग
97	बी एड प्रशिक्षण विशेष बेच	1995–96	जनजाति क्षेत्र की छात्र/छात्राएं	जनजाति क्षेत्र की छात्र/छात्राएं जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक हो	विज्ञापन के अनुसार	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी उदयपुर डूगरपुर बांसवाडा/प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग
98	आश्रम छात्रावासों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के जनजाति छात्र/छात्राओं को कम्प्युटर शिक्षा पुर्नभरण योजना	2006–07	जनजाति क्षेत्र की छात्र/छात्राएं	जनजाति उपयोजना क्षेत्र के मूल निवासी हो संचालित आश्रमों में रहकर कम्प्युटर शिक्षा ले रहा हो अनुत्तीर्ण छात्रों को यह लाभ देय नहीं होगा जिनके अभिभावक आयकर दाता है उनको यह लाभ देय नहीं होगा कक्षा 9 व 10 में अनिवार्य रूप से संचालित	छात्रावास के गृह पति को व विद्यालय प्रधान को	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी उदयपुर डूगरपुर बांसवाडा/प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग

				है उन्हे 11 व 12 वीं कक्षा में ऐच्छिक विषय लेकर अध्ययनरत जनजाति छात्र को स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार फीस राशि का भुगतान किया जाना है।		
99	खेल छात्रावासों का संचालन	1996–97	जनजाति क्षेत्र की छात्र/छात्राएं	राज्य में निवास करने वाले कक्षा 6 से 12 तक के छात्र/छात्राएं अभिभावक आयकरदाता न हो छात्र बीमारी से ग्रसित न हो चयन की बेट्री टेस्ट में सफल होने पर खेल छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा ।	संबंधित वार्डन	परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा उदयपुर खेल अधिकारी उदयपुर गृहपति खेल छात्रावास
100	सामुदायिक फव्वारा सिंचाई वितरण	2005–06	माडा क्षेत्र का जनजाति बी पी एल परिवार	माडा क्षेत्र का जनजाति बी पी एल परिवार	पंचायत समिति/जिला परिषद	पंचायत समिति/जिला परिषद
101	कम्प्युटर प्रशिक्षण		जनजाति क्षेत्र की छात्र/छात्राएं	ओ स्तर के प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त व अनुसूचित क्षेत्र के लिए कलक्टर द्वारा चयनित संस्थान में प्रवेश लेने वाले तथा बी सी ए, पी जी डी सी ए व एम सी ए हेतु मान्यता प्राप्त राज्य के संस्थान में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित क्षेत्र के निवासी जनजाति युवा	संबंधित जिले के परियोजना/उप परियोजना अधिकारी	संबंधित जिले के परियोजना/उप परियोजना अधिकारी
102	कृषि कूप उर्जाकरण योजना	2008–09	जनजाति क्षेत्र के जनजाति	जनजाति क्षेत्र के जनजाति कृषक जिनके पास स्वयं के नाम कृषि कूप हो	संबंधित जिले के परियोजना/उप परियोजना अधिकारी अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी उदयपुर ढूगरपुर/बांसवाडा/प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड
103	ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण	1986–87	जनजाति क्षेत्र की छात्र/छात्राएं	अभ्यर्थी जनजाति वर्ग का हो न्यूनतम योग्यता आंठवीं या दसवीं उत्तीर्ण हो आयु सीमा 14 से कम व 45 से अधिक न हो विकलांगों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी विधवा व तलाकशुदा		परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी उदयपुर ढूगरपुर/बांसवाडा/प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्रीय विकास

	हेतु विशेष पाठ्यक्रमों का संचालन			महिला अभ्यर्थी को आई टी आई में प्रवेश लेने पर उपरी आयु सीमा में पूर्ण छूट है।		विभाग अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड
104	छात्रावास किराया योजना केवल महाविद्यालय के छात्र / छात्राओं हेतु	1986–87	जनजाति क्षेत्र की छात्र / छात्राएं	जो महाविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ते हैं जो स्थानाभाव के कारण किराये के मकान में रह रहे हैं। उनको यह सुविधा देय है। जिनके माता पिता आयकर दाता हैं उनको यह सुविधा देय नहीं होगी।	संबंधित प्रधानाचार्य को	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी उदयपुर डूगरपुर बांसवाडा / प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड
105	बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्र / छात्राओं को आर्थिक सहायता	1983–84	जनजाति क्षेत्र की छात्र / छात्राएं	जनजाति क्षेत्र की छात्र / छात्राएं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 व 12 की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो कॉलेज में सामान्य शिक्षा में ग्रेजुयेशन प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो तथा अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो जो इसके पात्र होंगे जिनके माता पिता आयकर दाता हैं उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा।	0	0
106	जनजाति क्षेत्र की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता	1994–95	जनजाति क्षेत्र की छात्राएं	योजना का लाभ जनजाति की उन छात्राओं को प्राप्त है जो अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी हैं। और निजि व राजकीय कॉलेज व विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हैं तथा जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं हैं।	संबंधित प्रधानाचार्य को	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी उदयपुर डूगरपुर बांसवाडा / प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड संस्था प्रधान
107	एकलव्य बालक खेल छात्रावास संचालन योजना	1996–97	जनजाति खिलाड़ी छात्र	कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत हो जनजाति छात्र को ही प्रवेश दिया जाएगा वह पिछली कक्षा उत्तीर्ण हो, छात्र किसी बीमारी से ग्रसित न हों। छात्र के माता पिता आयकरदाता न हो। इस योजना में प्रवेश चयन कमेटी द्वारा दिया जाएगा।	खेल अधिकारी व जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर	खेल अधिकारी व जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग उदयपुर

108	जिला स्तरीय बालक खेल छात्रावास खेरवाडा (उदयपुर)संचालन	2002–03	अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति छिलाड़ी छात्र	कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत हो जनजाति छात्र को ही प्रवेश दिया जाएगा जों पिछली कक्षा उत्तीर्ण हो, छात्र किसी बीमारी से ग्रसित न हों। छात्र के माता पिता आयकरदाता न हो। इस योजना में प्रवेश चयन कमेटी द्वारा दिया जाएगा जनजाति बालकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा	खेल अधिकारी व जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर	खेल अधिकारी व जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर
109	संभाग स्तरीय बालक खेल छात्रावास सरदारपुरा ,उदयपुर	2002–03	अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति छिलाड़ी छात्र	कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत हो जनजाति छात्र को ही प्रवेश दिया जाएगा जों पिछली कक्षा उत्तीर्ण हो, छात्र किसी बीमारी से ग्रसित न हों। छात्र के माता पिता आयकरदाता न हो। इस योजना में प्रवेश चयन कमेटी द्वारा दिया जाएगा जनजाति बालकों का निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा	खेल अधिकारी व जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर	खेल अधिकारी व जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर
110	आश्रम छात्रावासों का संचालन	1977–78	जनजाति क्षेत्र की जनजाति छात्र / छात्राएं	अनुसूचित क्षेत्र के ऐसे छात्र जिनके निवास से 1.5किमी तथा 3कि.मी तथा 5कि.मी तक कोई प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक ,उच्च माध्यमिक विद्यालय न हो । माता पिता व अभिभावक आयकरदाता न हो कृषि भूमि 15 बीघा से अधिक न हो छात्र उसी जिले का निवासी हो जिस जिले के लिए आवेदन किया है उसे मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा ।	संबंधित परियोजना/उप परियोजना अधिकारी	संबंधित परियोजना/ उप परियोजना अधिकारी
111	प्रतिभावान छात्रावासों का संचालन	1977–78	जनजाति क्षेत्र की जनजाति छात्र / छात्राएं	जनजाति उपयोजना क्षेत्र के छात्र/छात्राएं जिन्होंने 8वीं कक्षा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की हो उनको वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा ।	संबंधित परियोजना/उप परियोजना अधिकारी	संबंधित परियोजना/ उप परियोजना अधिकारी
112	कॉलेज एवं	2006–07	जनजाति क्षेत्र की जनजाति	छात्र/छात्रा अनुसूचित क्षेत्र का मूल	संस्था प्रधान,	संस्था प्रधान, परियोजना

		छात्र / छात्राएं	निवासी हो उदयपुर में स्थापित कॉलेजों में अध्ययनरत हो राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय तीरन्दाजी प्रतियोगिता में भाग लिया हो। जिन छात्रों में 12 वीं कक्षा तक तीरन्दाजी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो।	परियोजना/उप परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा / डूंगरपुर/उदयपुर,प्रतापगढ़ एवं आबूरोड	/उपपरियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा / डूंगरपुर/उदयपुर,प्रतापगढ़ एवं आबूरोड	
113	प्राकृतिक आपदा ,दुर्घटना एवं गम्भीर बीमारी पर सहायता योजना	0	जनजाति क्षेत्र के प्रभावित जनजाति परिवार	आदिवासी परिवार का हो। जीविकोपार्जन कर्ता किसी गम्भीर बीमारी अथवा विकलांगता से ग्रसित है तथा महामारी व बाढ़ में मकान बह गया हो किसी भी कारण से फसल नष्ट हो गई हो तथा तलाकशुदा व विधवा महिला की संतानों को अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।	संस्था प्रधान, परियोजना/उप परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा / डूंगरपुर/उदयपुर,प्रतापगढ़ एवं आबूरोड	संस्था प्रधान, परियोजना/उपपरियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा / डूंगरपुर/उदयपुर,प्रतापगढ़ एवं आबूरोड
114	जनजाति क्षेत्रीय खेल	1985	जनजाति क्षेत्र के 25 पंचायत समिति क्षेत्र व 6 जिलों के जनजाति खिलाड़ी	जनजाति क्षेत्र में रहने वाला जो 17 वर्ष से कम आयु का हो।	सचिव राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद्	खेल अधिकारी जनजाति
115	राजस्थान में ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन व विकास प्रसार	1971	237 पंचायत समितियाँ व 33 जिलों के ग्रामीण खिलाड़ी	ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला जो 16 वर्ष से कम आयु का हो।	सचिव राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद्	खेल अधिकारी ग्रामीण
116	राजस्थान खेल अधिनियम 2005 के तहत पंजीकृत राज्य खेल संघों के माध्यम से प्रदेश के खिलाड़ियों को यात्रा भत्ता का भुगतान	0	राजस्थान के चयनित ,उदयमान प्रतिभाशाली खिलाड़ी	जिला व राज्य प्रतियोगिताओं / चयन स्पर्धाओं के माध्यम से चयनित ,उदयमान व प्रतिभाशाली खिलाड़ी	सचिव राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद्	सचिव राजस्थान राज्य कीड़ा परिषद् जयपुर
117	महाराणा प्रताप वाणिष्ठ पुरस्कार	1982	खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक	खेल एवं प्रशिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र एवं परिषद मुख्यालय	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र एवं परिषद मुख्यालय

118	महिला बॉस्केटबॉल अकादमी जयपुर	2007	महिला खिलाड़ी	उदीयमान बास्केटबॉल खिलाड़ी	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र एवं परिषद मुख्यालय	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र एवं परिषद मुख्यालय
119	केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर	1959	14 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाएं	उदीयमान खिलाड़ी	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र एवं परिषद मुख्यालय	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र एवं परिषद मुख्यालय
120	विद्यालय विज्ञान क्लब	0	विद्यार्थी	राजकीय व निजि विद्यालय जिसमें विज्ञान एच्छक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है।	निदेशक विज्ञान व प्रोयोगिकी विभाग जयपुर	निदेशक विज्ञान व प्रोयोगिकी विभाग जयपुर
121	किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यवितगत दुर्घटना बीमा योजना	2006	कृषक वर्ग	किसान क्रेडिट कार्ड धारक सदस्य शीर्ष सहकारी बैंक, समस्त सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक सहकारी बैंकों एवं पेक्स माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले सदस्य।	संबंधित केन्द्रिय सहकारी बैंक	ग्राम सेवा / बैंक शाखा
122	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	0	कृषक वर्ग	जिन कृषकों की उपज वास्तविक उपज यदि गारंटी उपज से कम रहती है तो क्षतिपूर्ति बीमित कृषक को देय है।	ग्राम सेवा सहकारी समिति	सेवेधित ग्राम सेवा सहकारी समिति
123	अविका क्रेडिट कार्ड योजना	2004	भेडपालक	भेडपालक/ ग्रामीण परिवार, जो संबंधित ग्राम सेवा सहकारी जहाँ का निवासी है	ग्राम सेवा सहकारी समिति/ संबंधित बैंक शाखा	ग्राम सेवा सहकारी समिति/ संबंधित बैंक शाखा
124	असफल कूप क्षतिपूर्ति सहायता योजना	1985	कृषक वर्ग	ऐसे सदस्य जिन्होने प्राथमिक सहकारी बैंकों से नलकूप निमाण हेतु ऋण लिए हो एवं वे असफल हो गए हो।	सचिव प्राथमिक भूमि विकास बैंक / शाखा सचिव	सचिव प्राथमिक भूमि विकास बैंक / शाखा सचिव
125	शैक्षणिक संस्थान योजना	0	शैक्षणिक संस्था	0	प्राथमिक बैंक मुख्यालय / संबंधित शाखा	प्राथमिक बैंक मुख्यालय / संबंधित शाखा
126	स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना	2003	छोटे कारीगर, बुनकर, हथकरघा, लघु उद्यमी एवं रिक्षा धारक	प्रार्थी बैंक के कार्यक्षेत्र का निवासी हो व्यवसाय का पूर्ण अनुभव हो।	प्राथमिक बैंक मुख्यालय / संबंधित शाखा	प्राथमिक बैंक मुख्यालय / संबंधित शाखा
127	महिला विकास ऋण योजना	0	महिला वर्ग	आवेदक बैंक का सदस्य हो महिला प्रस्तावित उद्योग व सेवा गतिविधि के संचालन हेतु सक्षम हो, महिला के पति व रिश्तेदार स्वयं के नाम से भारमुक्त सम्पत्ति हो मूल पत्र जमानत स्वरूप बैंक में प्रस्तुत करने होगे	प्राथमिक बैंक मुख्यालय / संबंधित शाखा	प्राथमिक बैंक मुख्यालय / संबंधित शाखा

128	सावधि जमा योजना	0	आमजन एवं समस्त वर्ग	खाता किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के नाम से दो या अधिक व्यक्तियों का संयुक्त रूप से अवयस्क का कानुनी संरक्षक द्वारा विभिन्न संस्थाओं द्वारा जमाकर्ता/संस्था भूमि विकास बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।	प्राथमिक बैंक मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय जयपुर	प्राथमिक बैंक मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय जयपुर
129	एग्री विलनिक एवं कृषि व्यवसाय	2001–02	कृषि स्नातक	कृषि स्नातक	प्राथमिक विकास बैंक की शाखा	प्राथमिक विकास बैंक की शाखा
130	मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष	1999	बी पी एल परिवार	बी पी एल कार्डधारक	संभागीय आयुक्त, संभाग कार्यालय	संभागीय आयुक्त, संभाग कार्यालय
131	मुख्यमंत्री सहायता कोष	2000	कमजोर आयवर्ग	प्रतिवर्ष 24000रु से कम आय वाले व्यक्ति	मुख्यमंत्री कार्यालय	वरिष्ठ लेखाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय
132	बालिका संबंध योजना	2007	सभी वर्ग	वह दोनों माता पिता जिन्होने 1.4.2007 से अपना नसबन्दी ऑपरेशन करा लिया हो बच्चियों की उम्र 5 साल से कम हो	संस्थान के प्रभारी को	जिले के उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
133	नस बन्दी के उपरान्त मृत्यु, असफलता एवं जटिलता बीमा योजना	2006	सभी वर्ग	नसबन्दी में मृत्यु हो जाने पर आश्रित को, असफल होने पर ऑपरेशन करवाने वाले को	जिले के उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	जिले के उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
134	जननी सुरक्षा योजना	2005	सभी वर्ग की महिलाएं	सभी गर्भवती महिलाएं जो किसी सरकारी संस्थान में प्रसव करवाती हैं सभी बी पी एल परिवार जो घर पर प्रसव करवाते हैं।	जिस संस्था पर प्रसव हो	संस्था प्रभारी
135	फलोद्यान विकास कार्यक्रम	2001–02	अनुसूचित क्षेत्र का जनजाति बी पी एल	अनुसूचित क्षेत्र का जनजाति बी पी एल होना चाहिए कृषक के पास 0.75 एकड़ भूमि फलदार पौधे लगाने हेतु होनी चाहिए। कृषक के यहाँ पानी की सुविधा होनी चाहिए।	बैफ संस्था	बैफ संस्था
136	रतनजोत पौध रोपण के द्वारा बंजर भूमि विकास	2004–05	अनुसूचित क्षेत्र का जनजाति बी पी एल	अनुसूचित क्षेत्र का जनजाति बी पी एल होना चाहिए कृषक के पास 1 एकड़ भूमि में रतनजोत पौधारोपण	बायफ डबलपर्मेट रिसर्च फाउण्डेशन उदयपुर /राजस्थान रुरल	बायफ डबलपर्मेट रिसर्च फाउण्डेशन उदयपुर

				खादभूमि सुधार कार्य आदि लाभ देय होंगे	इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेन्ट उदयपुर	
137	स्वरोजगार योजना	2001–02	जनजाति बी पी एल	अनुसूचित क्षेत्र का जनजाति बी पी एल	क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस संघ, उदयपुर बांसवाडा, झूंगरपुर, प्रतापगढ़, आबूरोड	क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस संघ, उदयपुर बांसवाडा, झूंगरपुर, प्रतापगढ़, आबूरोड
138	जनजाति महिला स्वयं सहायता समूह योजना	2007–08	जनजाति बी पी एल	अनुसूचित क्षेत्र का जनजाति बी पी एल	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारीजनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर झूंगरपुर बांसवाडा / प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारीजनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर झूंगरपुर बांसवाडा / प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
139	व्यक्तिगत /सामुदायिक डीजल /विद्युत पम्पसेट वितरण	1986–87	जनजाति बी पी एल	अनुसूचित क्षेत्र का जनजाति बी पी एल	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर झूंगरपुर बांसवाडा / प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारीजनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर झूंगरपुर बांसवाडा / प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
140	ब्लास्टिंग द्वारा कृषि कूप गहरा करना	1986–87	जनजाति बी पी एल	अनुसूचित क्षेत्र का जनजाति बी पी एल	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर झूंगरपुर बांसवाडा / प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर झूंगरपुर बांसवाडा / प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
141	सामुदायिक कृषि ऑपनवैल	2006–07	जनजाति बी पी एल	अनुसूचित क्षेत्र का जनजाति बी पी एल	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर झूंगरपुर बांसवाडा / प्रतापगढ़	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर झूंगरपुर बांसवाडा / प्रतापगढ़

					जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग	जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग
142	चर्म प्रशिक्षण	1990	अनुसूचित जाति व जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य	साक्षर /आठवीं पास तथा उससे अधिक	महाप्रबंधक ,जिला उद्योग केन्द्र	महाप्रबंधक ,जिला उद्योग केन्द्र
143	हथकरघा की त्रिवर्षीय डिल्लोमा पाठ्यक्रम	1998	सभी वर्ग	मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं विज्ञान ,गणित व अंग्रेजी में 50 प्रतिशत अक हो		महाप्रबंधक ,जिला उद्योग केन्द्र
144	स्वारथ्य बीमा योजना	2005–06	बुनकर वर्ग	सभी बनुकर महिला या पुरुष जिसकी 50 प्रतिशत आय हाथ करघा से अर्जित करता हो। इस योजना में लाभ 80 वर्ष तक आयु वाले लोग शामिल हो सकते हैं सहाकारी क्षेत्र के बाहर के बुनकर भी इस योजना में हथकरघा प्रभारी के प्रमाण पत्र के आधार पर शामिल हो सकते हैं।	संबंधित जिले के जिला उद्योग केन्द्र	संबंधित जिले के जिला उद्योग केन्द्र
145	महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना	205–06	बुनकर वर्ग	हथकरघा बुनाई से आय का 50 प्रतिशत अर्जित करता हो 18 से 59 वर्ष के सभी महिला पुरुष योजना में शामिल हो सकते हैं, सहकारी समिति के नियमित सदस्य जिसने 180 दिन बुनाई का काम किया हो, राज्य के हथकरघा विकास निगम के सम्बद्ध बुनकर	संबंधित जिले के जिला उद्योग केन्द्र	संबंधित जिले के जिला उद्योग केन्द्र
146	प्रधान मंत्री रोजगार योजना	1993	अनुसूचित जाति / जनजाति /भूतपूर्वसैनिक	इस योजना में 18 से 35 वर्ष की आयु के आठवीं पास युवक /युवतियाँ लाभान्वित हो सकते हैं अपंग व महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है।	संबंधित जिले के जिला उद्योग केन्द्र	संबंधित जिले के जिला उद्योग केन्द्र एवं आयुक्तालय कार्यालय में
147	सामुहिक बचत एवं बीमा योजना	2006–07	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनि, सहायिकाएँ एवं साथिन जिन्हे राज्य सरकार से मानदेय प्राप्त होता है। तथा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है।	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनि, सहायिकाएँ एवं साथिन जिन्हे राज्य सरकार से मानदेय प्राप्त होता है। तथा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है।	नोडल अधिकारी जो पंचायत समिति स्तर पर पदस्थापित है। बाल विकास परियोजना अधिकारी जो खण्ड स्तर	भारतीय जावन बीमा निगम, पेंशन एवं समूह बीमा ईकाई, जीवन प्रकाश भवन जयपुर

					पर जिला महिला विकास अभियान हैं	
148	अपना काम अपना धाम योजना	2004	राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रन्यास	राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।	सहायक आयुक्त, देवस्थान के कार्यालय से सम्पर्क करे	सहायक आयुक्त के कार्यालय से सम्पर्क करे
149	अविका कवच योजना	2004–05	भेड़पालक	जिसके पास प्रचलित नस्ल की 25 भेड़े हो भेड़ 1 से 9वर्ष की आयु की नर व मादा हो। किसी राजकीय योजना के अन्तर्गत भेड़ों का क्रय नहीं किया गया हो। अविका क्रेडिट कार्ड वालों को प्राथमिकता है।	उपनिदेशक पशुपालन विभाग कार्यालय या निकटम पशु चिकित्सालय में	निकटतम पशु चिकित्सालय
150	अविका पाल जीवन रक्षक योजना	2004–05	भेड़पालक	जसके पास प्रचलित नस्ल की 25 भेड़े हो भेड़ 1 से 9वर्ष की आयु की नर व मादा हो। किसी राजकीय योजना के अन्तर्गत भेड़ों का क्रय नहीं किया गया हो। अविका क्रेडिट कार्ड वालों को प्राथमिकता है।	उपनिदेशक पशुपालन विभाग कार्यालय या निकटम पशु चिकित्सालय में	निकटतम पशु चिकित्सालय
151	अविका रक्षक बीमा योजना	2004–05	भेड़पालक	जसके पास प्रचलित नस्ल की 25 भेड़े हो भेड़ 1 से 9वर्ष की आयु की नर व मादा हो। किसी राजकीय योजना के अन्तर्गत भेड़ों का क्रय नहीं किया गया हो। अविका क्रेडिट कार्ड वालों को प्राथमिकता है।	उपनिदेशक पशुपालन विभाग कार्यालय या निकटम पशु चिकित्सालय में	निकटतम पशु चिकित्सालय
152	कामधेनु बीमा योजना	2005–06	गौपालक	जिसके पास प्रदेश में प्रचलित देशी एवं सेकर नस्ल की दुधारू गाय जिनकी आयु 2 से 10 वर्ष हो। सभी गौ पालक पात्र होगे अनुसूचित जाति व जनजाति को प्राथमिकता अन्य किसी राजकीय योजना के अन्तर्गत घुआओं का क्रय एवं समकक्ष लाभ प्राप्त नहीं करने वाला गोपालक	निकटतम पशु चिकित्सालय	निकटतम पशु चिकित्सालय
153	गोपालक बीमा योजना	2005–06	गौपालक	अनुसूचित जाति व जनजाति को प्राथमिकता, समर्त गोपालक	उपनिदेशक पशुपालन विभाग कार्यालय या	निकटतम पशु चिकित्सालय

					निकटम पशु चिकित्सालय में	
154	गौरक्षक बीमा योजना	2005–06	गौपालक	अनुसूचित जाति व जनजाति को प्राथमिकता ,समस्त गौपालक	उपनिदेशक पशुपालन विभाग कार्यालय या निकटम पशु चिकित्सालय में	निकटम पशु चिकित्सालय
155	सरस आरोग्य बीमा योजना	2005–06	दुग्ध उत्पादक सदस्य	दुग्ध समिति के सदस्य	जिला दुग्ध संघ का नामित नोडल अधिकारी	जिला दुग्ध संघ का नामित नोडल अधिकारी
156	निर्मल घाट योजना	2007–08	महिलाएं	नदियों व तालाबों के किनारे स्नान करने वाली महिलाएं	संबंधित नगर निकाय(नगरपालिका / नगर परिषद)	संबंधित नगर निकाय(नगरपालिका / नगर परिषद)
157	इन्दिरा आवास योजना	1996	बी पी एल जिस परिवार की वार्षिक आय 32000रु है। इस योजना में अनुदान सहायता 15000रु देकर लाभान्वित किया जा सकता है।	बी पी एल सेन्सेस 2002 के आधार पर गरीब बी पी एल चयनित परिवार	संबंधित नगर निकाय (नगरपालिका / नगर परिषद)	0
158	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार	1999	बी पी एल	बी पी एल	पंचायत समिति	परियोजना निदेशक एवं उपसचिव
159	जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना	2000	चयनित सात जिले बारां, चुरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमन्द, एवं टॉक की बी पी एल सूची एवं विशेष चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ती करते हो ।	लाभान्वित व्यक्ति बी पी एल होना चाहिए। निर्धारित मानदण्डों की पूर्ती करता हो।	पंचायत समिति	0
160	गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास	2004–05	समस्त समुदाय ग्रामीण क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक परिसम्पत्ति निर्माण	पंचायत समिति जिला परिषद	पंचायत समिति जिला परिषद
161	अक्षत योजना राजस्थान स्नातक बेरोजगारी भत्ता	2007	स्नातक बेरोजगार जिनकी पारिवारिक आय एक लाख रु वार्षिक से' अधिक न हो।	प्राथी राजस्थान का मूल निवासी हो ,स्नातक डिग्रीधारी हो ,सामान्य के लिये आयु सीमा 30 वर्ष एस टी एस सी के लिए 35 वर्ष है किसी रोजगार कार्यालय में 6 माह से लगातार	0	0

162	जन श्री बीमा योजना	2005–06	<p>बीडी श्रमिक, ईट भट्टा श्रमिक, काष्टकार, मोची, मछुआरे, हमाल, शिल्पकार हथकरघा, खादी बुनकर, महिलादर्जी, चर्मशिल्पकार, पापड उद्योगसे जुड़ी महिलाएं, खादी बुनकर, प्राथमिक दुध उत्पादक, नारियल प्रोसेसिंग से जुड़े श्रमिक, सफाई कर्मचारी, स्वरोजगार युक्त अपंग व्यक्ति, तेंदू पत्ता संग्रहकर्ता, रिक्षा व ऑटोरिक्षा चालक, वन श्रमिक, नमक श्रमिक, ताड़ी संग्रहक श्रमिक, शहरी निर्धन, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, रेशम खेती श्रमिक, वस्त्र, बिजली चलित हथकरघा श्रमिक, कागज उत्पाद, खांडसारी चीनी, छपाई, काष्ट उत्पाद, मोम एवं मोमबत्ती उद्योग, चर्म उत्पाद, कृषक, रबर एवं कोयला, यातायात कर्मचारी।</p>	<p>पंजीकृत हो, प्रार्थी को पंजीयन के पश्चात उक्त 6 माह की अवधि में विभाग द्वारा रोजगारोन्मुखी दक्षता प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु किसी संस्था में अग्रेसित किया जाये तो प्रार्थी उसे अस्वीकार कर देता है तो वह इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के अयोग्य होगा।</p>		
163	एकलव्य लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम	2008–09	अनुसूचित जाति एवं जन जाति के युवा जो 16 से 35 साल के हैं वे इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाने के	निदेशक उद्यमिता प्रबन्ध एवं विकास संस्थान	निदेशक उद्यमिता प्रबन्ध एवं विकास संस्थान	

				पात्र है।		
164	अन्नपूर्णा योजना	2000	अन्नपूर्णा योजना के पात्र व्यक्ति	ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है। जिन्हे वृद्धावस्था पेंशन के पात्र होते हुये भी पेंशन नहीं मिल पा रही है।	निदेशक समाज कल्याण विभाग एवं संबंधित जिला कलकटर	निदेशक समाज कल्याण विभाग एवं संबंधित जिला कलकटर
165	अन्त्योदय अन्न योजना	2001–02	अन्त्योदय परिवार	बी पी एल परिवारों में से चयनित अत्यन्त गरीब	ग्रामीण क्षेत्र के विकास अधिकारी शहरी क्षेत्र के नगरीय विकास विभाग जिला परिषद, नगरपालिका	सरपंच, तहसीलदार, जिला रसद अधिकारी, एवं जिला कलकटर
166	महिलाओं का समूह में यात्रा पर रियायत	2007	महिलाएं	न्यूनतम 5 महिलाओं का समूह	परिचालक से समूह यात्रा के लिए टिकट प्राप्त कर	निगम के विभिन्न आगारों के मुख्य प्रबंधक
167	राज्य कर्मी तथा परिजनों हेतु मेडिक्लेम बीमा पोलिसी	2007	राज्यकर्मी, उसका पति, पत्नि व बच्चे दो आश्रित बच्चे जिनकी आयु 21वर्ष से अधिक न हो। आश्रित माता पिता जो राज्य कर्मी के साथ रहते हो उनकी आय सभी स्रोतों से 2000रु मासिक से अधिक न हो।	वे राज्य कर्मी जो 2004 के बाद भर्ती हुये हो उसके आश्रित परिजन हेतु ग्रुप मेडिक्लेम ,1लाख रु है।	ई—मेडिटेड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	आयुक्त राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग बीमा भवन
168	अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार	2005–06	अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति	राजस्थान का मूल निवासी हो, जिला कलकटर से सद् चारित्र प्रतिष्ठा प्रमाणपत्र प्राप्त हो। संस्था ने कम से कम 10 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया हो। जिसने भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लक्षित व्यक्ति तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने का विवरण तैयार किया हो। पंजीकृत संस्था / व्यक्ति द्वारा आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्रोतों अनुसूचित जाति जनजाति से	निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ,	उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ,

				किये व्यय का विवरण वर्षवार रखा हो।		
169	कियोस्क ,मोबाइल कियोस्क का नि:शुल्क वितरण	2006–07	नि:शक्त व्यक्ति	वह व्यक्ति जो हाथ पैर या औंखो से नि:शक्त है इस अधिनियम 1995 की धारा 2 के अन्तर्गत परिभाषित किया हुआ हो। नि:शक्त व्यक्ति 45 वर्ष की आयु के पश्चात नि:शक्त नहीं हुआ हो। राजस्थान का मूल निवासी हो। राशन कार्ड बना हुआ हो आवेदक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख से अधिक न हो। आवेदक/उसकी पत्नि सरकारी कर्मचारी न हो।	सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग	जिला अधिकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग
170	विकलांग पेंशनधारी को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु एकमुश्त राशि प्रदान करने की योजना	2007–08	विकलांग पेंशनधारी	आवेदक पेंशनधारी होना चाहिए राजस्थान का मूल निवासी हो आवेदक नि:शक्त जन अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार नि:शक्त हो।	जिला अधिकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग	जिला अधिकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग
171	राजस्थान राज्य भक्त श्रवण कुमार सेवा आश्रम योजना	2004–05	पिराश्रित / निःःहाय / वृद्ध /अशक्त/वृद्ध दम्पत्ति	स्वयं सेवी सरस्थाएं	जिला अधिकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग आयुक्त सा. मा. न्या. अ. वि.	जिला अधिकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग मुख्य परीवीक्षा अधिकारी

स्रोत—, राजस्थान सरकार के विभागीय प्रतिवेदनों से संकलित

नोट— विस्तृत जानकारी के लिये सम्बन्धित विभाग के जिला कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

वर्तमान में योजना के प्रावधानों में परिवर्तन होना सम्भव है।